14.02.2017 को नई दिल्ली में नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गठित कार्यबल के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह की सातवीं बैठक 14.02.2017 को 11:00 बजे सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समूह के अध्यक्ष श्री ए डी मोहिले ने की। प्रारंभ में, समूह के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों और आमंत्रित लोगों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राजविअ द्वारा तैयार मसौदा रिपोर्ट को राजविअ द्वारा 09.02.2017 को कानूनी पहलुओं पर समूह के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया है। सदस्य आज अथवा बैठक के बाद भी अपनी टिप्पणियां देने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि उन्हें अगली बैठक में समूह के समक्ष रखे जाने वाले अंतिम प्रारूप प्रतिवेदन में शामिल किया जा सके। बाद में, श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), राजविअ ने एजेंडा मदों चर्चा की । प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

मद संख्या 6.1: 2 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में नदियों को जोड़ने के लिए गठित टास्क फोर्स के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए गठित कार्यबल के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह की 2 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में हुई बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को दिनांक 9 फरवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से परिचालित किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने एक बार फिर यह विचार व्यक्त किया कि यदि सदस्यों को कार्यवृत्त पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, तो वे बाद की तारीख में भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं, अधिमानत एक सप्ताह के भीतर । विचार-विमर्श के बाद 02.02.2017 को आयोजित कानूनी पहलुओं पर समूह की छठी बैठक के कार्यवृत्त की समूह द्वारा पुष्टि की गई क्योंकि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

मद संख्या 6.2: कानूनी पहलुओं पर समूह की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा ।

श्री के पी गुप्ता निदेशक (तकनीकी) ने चर्चा के लिए रिपोर्ट का पहला मसौदा समूह के समक्ष रखा। माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन के खंड-I और II तथा खण्ड-III के पैरा 3.3.2 और कुछ संशोधनों का सुझाव दिया । अध्यक्ष ने समूह को यह भी सूचित किया कि समूह के सदस्य श्री गोपालकृष्णन ने मसौदे के संबंध में उनके साथ विचार-विमर्श किया था कार्यबल की छठी बैठक के बाद 13.02.2017 को रिपोर्ट की गई क्योंकि वह 14.02.2017 (यानी समूह की सातवीं बैठक की तारीख) को कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने निम्नानुसार दो मुख्य टिप्पणियां प्रस्तुत कीं :

(I) हिमालयी लिंकों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों को और अधिक विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि मानस-संकोश-तीस्ता-फरक्का लिंक में बांग्लादेश के हित को उचित रूप से समतल किया जा सके। उनका यह भी विचार था कि हिमालय से जल की भारी मात्रा का अंतरण प्रस्तावित है और यह अंतरण प्रायद्वीपीय लिंकों की मांग को पूरा करेगा। इस प्रकार, ऐसे विशाल अंतरण की आवश्यकता पर बल देने से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शीघ्र समाधान के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिल सकती है।

(II) श्री गोपालकृष्णन ने अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को विस्तार से शामिल करने की इच्छा व्यक्त की ताकि यह पता चल सके कि उनके द्वारा अंतर-

राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान कैसे किया गया। उन्होंने चीन के अनुभव के लिए अंतर बेसिन जल अंतरण पर श्री असित बिस्वास की पुस्तक का संदर्भ लेने का सुझाव दिया।

इसके अलावा , विचार-विमर्श के बाद समूह के सदस्यों ने रिपोर्ट में सुधार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का निर्णय लिया :

(i) रिपोर्ट के आरंभ में प्रस्तावना के स्थान पर सारांश रखा जाना चाहिए ।

(ii) "पावती" संक्षेप में होनी चाहिए और रिपोर्ट के अंत में दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में धारा-6 नहीं होगी।

(iii) खण्ड-I एनपीपी की पृष्ठभूमि संबंधी पैरा से शुरू होना चाहिए और इसे छोटा किया जाना चाहिए। इसमें सर्व/श्री आर्थर कॉटन, केएल राव और कैप्टन दस्तूर के प्रस्तावों के संदर्भ भी शामिल होने चाहिए।

(iv) पैरा 112 के अंतिम पैरा को पुन लिखे जाने की आवश्यकता है जिसे समूह के अध्यक्ष स्वयं करने के लिए सहमत हुए।

(v) खंड-V (सिफारिशें) पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(vi) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओडिशा महानदी से अतिरिक्त जल की विपथनीय मात्रा से सहमत नहीं है, प्रायद्वीपीय लिंकों की व्यवहार्यता एमएसटीजी लिंक के माध्यम से आने वाले ब्रह्मपुत्र जल पर निर्भर हो सकती है। इस पहलू को उपयुक्त रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए और तदनुसार प्रायद्वीपीय लिंकों से संबंधित अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबंधित तालिका में दर्शाया जाना चाहिए।

(vii) प्रोफेसर अवधेश प्रसाद अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसले पर नोट देने के लिए सहमत हुए।

मद संख्या 6.3 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

समूह के अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि अगली दो बैठकों में रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और अगली दो बैठकें अधिमानत: 23.02.2017 (अपराह्न) और 06.03.2017 (पूर्वाह्न) को आयोजित करने का सुझाव दिया।

समूह के अध्यक्ष ने बताया कि नदियों को जोड़ने के लिए गठित टास्क फोर्स ने 13-02-2017 को आयोजित अपनी छठी बैठक में समूह के कार्यकाल के विस्तार के मुद्दे पर चर्चा की थी और टास्क फोर्स के अध्यक्ष ने 31 मार्च, 2017 तक विस्तार को मंजूरी दी थी।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध- I

नई दिल्ली में 14.02.2017 को आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत कानूनी पहलुओं पर समूह " की 7वीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची ।

1.	श्री ए डी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी	अध्यक्ष
2.	प्रो अवधेश प्रताप, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
3.	श्री एबी पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी	सदस्य-संयोजक
	राजविअ के अधिकारी	
4.	श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय)	
5.	श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	
6.	श्री एम के सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार	